



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012021-224693
CG-DL-E-25012021-224693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2021/माघ 5, 1942

No. 36]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2021/MAGHA 5, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 45(अ).—जबकि, डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 47 की उप-धारा (3) के अधीन यथापेक्षित डिजाइन नियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों अर्थात्, डिजाइन (संशोधन) नियम, 2019 के प्रारूप को, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 798(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था; जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त, अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 19 अक्टूबर, 2019 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियाँ और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्र सरकार, डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डिजाइन नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों को डिजाइन (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. डिजाइन नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (डक) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

(डख) “स्टार्टअप” से अभिप्रेत है-

(क) स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त भारत की एक इकाई; और

(ख) विदेशी इकाई के मामले में, स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अनुसार व्यापारावर्त और अपने निगमन या पंजीकरण की अवधि संबंधी मानदंड पूरा करने और इस विषय में उद्घोषणा प्रस्तुत करने वाली एक इकाई।

स्पष्टीकरण: व्यापारावर्त की गणना करते समय भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की संदर्भ दर लागू होगी।”

3. मूल नियमों के नियम 4 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, नामतः -
“बशर्ते कि सेवा के लिए ऐसे पते में, एजेंट/आवेदक का ई-मेल पता और भारत में पंजीकृत मोबाइल नंबर शामिल होगा।”

4. मूल नियमों के, नियम 5 के उप-नियम (2) में,

- i. खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, नामतः -

“(ड) ऐसे मामले में जहां किसी प्रकृत व्यक्ति और/या स्टार्टअप और/ या लघु इकाई द्वारा किए गए किसी आवेदन की कार्यवाही किसी प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप या लघु इकाई से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः अंतरित की जाती है वहाँ उसी विषय में किसी प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप या लघु इकाई से प्रभारित शुल्क और प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप या लघु इकाई से भिन्न व्यक्ति से प्रभारित शुल्क के बीच शुल्कों के मापमान का अंतर, यदि कोई हो, नए आवेदक द्वारा अंतरण के अनुरोध के साथ भुगतान किया जाएगा।”;

- ii. खंड (च) का लोप किया जाएगा।

- iii. उपनियम (ड) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“**स्पष्टीकरण-** जहां स्टार्टअप अथवा लघु इकाई ने किसी डिजाइन के लिए कोई आवेदन दायर किया है, वह अवधि जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस के बीत जाने के उपरांत या बाद में उसका व्यापारावर्त के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित वित्तीय सीमा पार कर लेने पर, शुल्क के मापमान में किसी अंतर का भुगतान नहीं करना होगा।”

5. मूल नियमों के नियम 10 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को रखा जाएगा, नामतः -

“डिजाइन के पंजीकरण और इन नियमों, के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं को विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वायपो) द्वारा प्रकाशित “औद्योगिक डिजाइन का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन) (लोकानो वर्गीकरण)” के वर्तमान संस्करण के अनुसार अनुच्छेदों को वर्गीकृत किया जाएगा।”

बशर्ते कि किसी डिजाइन का पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों, विशेषकर धारा 2 (क) और 2 (घ) को पूरा किए जाने के अधीन होगा।”

6. मूल नियमों में, पहली अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, नामतः-

पहली अनुसूची

(नियम 5 देखें)

शुल्क

प्रविष्टि की सं.	निम्नलिखित पर संदेय	सुसंगत प्ररूप की सं.	शुल्क(रुपए में)	
			प्रकृत व्यक्ति(यों) और/ या स्टार्टअप(प्स) और/ या लघु इकाई(यों) के लिए	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति (यों) और/ या स्टार्टअप (प्स) और/ या लघु इकाई (यों) के साथ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धारा 5 और 44 के अधीन डिजाइन के पंजीकरण के लिए आवेदन पर	1	1000	4000
2	आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए धारा 8 (1) और (5) के अधीन दावा करने पर	2	500	2000
3	धारा 11(2) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार के लिए आवेदन पर	3	2000	8000
4	धारा 12(2) के अधीन व्यपगत डिज़ाइन के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	4	1000	4000
5	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त शुल्क	-	1000	4000
6	धारा 17(1) के अधीन पंजीकृत डिजाइन का निरीक्षण	5	500	2000

7	जब धारा 18 के अधीन पंजीकरण सं. दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध पर	6		500	2000
8	जब पंजीकरण सं. न दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध पर	7		1000	4000
9	धारा 19 के अधीन डिजाइन को रद्द करने के लिए याचिका पर	8		1500	6000
10	धारा 21 के अधीन किसी अपंजीकृत डिजाइन के आशयित प्रदर्शन या प्रकाशन की सूचना	9		500	2000
11	धारा 30(3) के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में किसी दस्तावेज के पंजीकरण के लिए आवेदन, एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	10			
			500		2000
			200		800
12	धारा 30 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर के स्वत्वधारी या आंशिक स्वत्वधारी के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर,- एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	11			
			500		2000
			200		800
13	बंधक या अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर,-	12			

	एक डिजाइन की बाबत		500	2000
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		200	800
14	धारा 30 और नियम 37 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में दस्तावेज की अधिसूचना की प्रविष्टि के लिए आवेदन,-	13		
	एक डिजाइन की बाबत		500	2000
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		200	800
15	धारा 29 के अधीन लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए अनुरोध पर	14	500	2000.
16	धारा 26 और नियम 41 के अधीन प्रमाणन के लिए अनुरोध पर	15	500	2000
17	धारा 17 (2) के अधीन पंजीकृत डिजाइन की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पर	16	500	2000
18	धारा 31 के अधीन डिजाइन रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन पर	17	500	2000
19	नियम 15 और नियम 18 के अधीन प्राथमिकता दस्तावेज फाइल करने हेतु समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर	18	200 (प्रति मास)	800 (प्रति मास)

20	नियम 40 के अधीन आपत्ति की सूचना पर	19	100	400
21	नियम 29 और 40 के अधीन सुनवाई में उपस्थित होने के आशय की सूचना	20	500	2000
22	अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के प्राधिकार के लिए प्ररूप	21	-	-
23	नियम 31 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में नाम या पता या सेवा पता में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध पर	22	200	800
24	डिजाइन रजिस्टर में दो पते की प्रविष्टियों के लिए अनुरोध पर	23	200	800
25	किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए नियम 46 के अधीन याचिका पर	-	500	2000
26	समय बढ़ाने के लिए नियम 29, 40, 47, के अधीन याचिका पर	-	500	2000
27	नियम 38 के अधीन डिजाइन रजिस्टर का निरीक्षण (प्रत्येक डिजाइन के बाबत)	-	250	1000
28	अन्यथा उपबंधित नहीं की गई याचिका पर	-	1000	4000

29	किसी लघु इकाई की प्रस्थिति का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाना	24	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
----	---	----	----------------	----------------

7. मूल नियमों की, दूसरी अनुसूची में, i) प्ररूप सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, नामतः:-

“प्ररूप 1

[डिजाइन अधिनियम, 2000]

डिजाइनों के पंजीकरण के लिए आवेदन

(धारा 5 और 44 देखें)

(शुल्क के लिए पहली अनुसूची देखें)	आप से अनुरोध है कि संलग्नक को वर्ग सं.क में .
क. वर्ग की संख्या लिखिए ख. पूरा पता व राष्ट्रीयता लिखिएके नाम से ब जो स्वत्वधारी(यों) होने का दावा करता है (करते हैं) रजिस्टर करें।
ख1 आवेदक की श्रेणी [कृपया समुचित श्रेणी पर (✓) निशान लगाएं]	प्रकृत व्यक्ति () स्टार्ट-अप () लघु इकाई () अन्य ()ब1
ग. बताएं कि रेखाचित्र, फोटोचित्र, अनुरेखण या नमूनों में से क्या दिया गया है।	इस अनुरोध के साथ डिजाइन के चार समान ग..... लगे हैं।
घ. वस्तु या वस्तुओं के नाम जिन पर डिजाइन लागू किया जाना है या संवर्ग में अंतर्विष्ट प्रत्येक वस्तु का व्यापार विवरण बताएं।	डिजाइन घ पर लागू किया जाना है।
ङ इन शब्दों को काट दें यदि पूर्व में पंजीकरण किया गया है।	डिजाइन ङ वर्ग (वर्गों) में सं. के अधीनपूर्वतन पंजीकृत है। अभिसमय देश या देशों के समूह या अंतरशासकीय संगठन में किए गए पहले आवेदन का ब्यौरा। i. देश/ अंतरशासकीय संगठन का नाम ii. फाइल करने की तारीख iii. आवेदन संख्या iv. आवेदक का नाम

<p>च. जब तक भारत में सेवार्थ पता नहीं दिया जाता है, तब तक अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।</p>	<p>भारत में सेवार्थ पता च निम्नलिखित है</p> <p>.....</p> <p>ईमेल आई डी</p> <p>.....</p> <p>मोबाइल नं:</p>
<p>छ. आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।</p>	<p>घोषणा: आवेदक डिजाइन के स्वत्वधारी होने का और उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार डिजाइन नया या मूल होने का दावा करता है। आज तारीख 20... (हस्ताक्षरित).....</p>

सेवा में
डिजाइन नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय,

* यदि कोई पूर्व पंजीकरण या प्राथमिकता का दावा नहीं किया गया है तो शब्दों को काट दें।

(ii) प्ररूप 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, नामतः -

<p>“प्ररूप-24 (डिजाइन अधिनियम, 2000) (नियम 2 और 5 देखें) लघु इकाई या स्टार्टअप की स्थिति का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाना</p>		
1	<p>नाम, पता और राष्ट्रीयता प्रविष्ट करें। कृपया समुचित श्रेणी परनिशान लगाएं</p>	<p>मैं/ हम डिजाइनआवेदन संख्या के संदर्भ में आवेदक एतद्वारा यहघोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम लघु इकाई या स्टार्टअप हूँ/हैं और निम्नदस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हैं:</p>
2	<p>पात्रता के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़:</p>	
i.	<p>लघु इकाई होने का दावा करने के लिए:</p>	
<p>क. भारतीय आवेदक के लिए: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन पंजीकरण का साक्ष्य। ख. विदेशी इकाई के संदर्भ में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज़।</p>		
ii.	<p>स्टार्टअप होने का दावा करने के लिए:</p>	
<p>क. भारतीय आवेदक के लिए : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र। ख. विदेशी इकाई के मामले में: सहायक दस्तावेज सहित पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई शपथपत्र।</p>		
3.	<p>वचन बंध</p>	<p>यहाँ प्रदत्त सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य है। आज..... तारीख 20...</p>

4.	आवेदक(कों) / पंजीकृत स्वत्वधारी (यों)/ प्राधिकृत पंजीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम।	हस्ताक्षर
----	---	-----------------

टिप्पणः

1. लघु इकाई अथवा स्टार्टअप के रूप में स्थिति की बाबत तथ्यों की गलत सूचना/ गलत व्याख्या के आधार पर शुल्क में कमी का फायदा लेने का यह अभिप्राय होगा किनियम 5(2)(ख) द्वारा यथा आदेशाधीन दस्तावेज़ के साथ संपूर्ण शुल्क नहीं है। ऐसे मामले में धारा 24(2) के अनुसार दस्तावेज़ का दायर किया जाना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक शुल्क का पूर्णतया भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

2. लघु इकाई अथवा स्टार्टअप के रूप में स्थिति के बारे में कोई मिथ्या सुझाव यामिथ्या प्रस्तुति करके डिजाइन रजिस्टर में प्रविष्ट पंजीकृत डिजाइन पर डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 31 के उपबंध लागू हो सकेंगे।”

8. मूल नियमों में, तीसरी अनुसूची का लोप किया जाएगा।

9. मूल नियमों में, चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, नामतः:-

“चौथी अनुसूची

(नियम 43 देखें)

नियंत्रक के समक्ष कार्यवाहियों में अनुज्ञेय खर्चों का मापमान

प्रविष्टि की सं.	वे विषय जिनकी बाबत खर्च अधिनिर्णीत किया जाएगा	राशि (रुपए में)	
		प्रकृत व्यक्ति(यों) और/ या स्टार्टअप(प्स) और/ या लघु इकाई(यों) के लिए	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति(यों) और/ अथवा स्टार्टअप(प्स) और/ या लघु इकाई(यों) के साथ
1	नियम 40 के अधीन आपत्ति की सूचना के लिए	100	400
2	धारा 19 के अधीन डिजाइन के पंजीकरण के रद्दकरण की याचिका के लिए	1000	4000
3	सुनवाई में उपस्थित होने की जानकारी की सूचना के लिए	200	800
4	मुख्तारनामा के लिए स्टॉप, जहां वृत्तिक को नियुक्त किया गया है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गयी है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गयी है
5	सुसंगत शपथपत्र की बाबत स्टॉप शुल्क	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गयी है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गयी है
6	नियम 29 के उपनियम (1) और नियम 40 के उपनियम(2) के अधीन कथन और साक्ष्य के लिए	200	800

7	नियम 29 के उपनियम (3) और नियम 40 के उपनियम(4) के अधीन प्रति कथन।	200	800
8	यदि सुसंगत हो, तो प्रत्येक शपथ पत्र के लिए	100	400
9	यदि सुसंगत हो, तो प्रत्येक उद्धरण के लिए	100	400
10	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ पत्र या उद्धरण के लिए	100	400
11	नियंत्रक के समक्ष सुनवाई के प्रत्येक दिन या दिन के भाग के लिए।	500	2000".

[फा.सं. पी-24024/81/2019-आईपीआर-V]

रविन्द्र, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सा.का.आ. 414(अ), तारीख 11 मई, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 925(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2014 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2021

G.S.R. 45(E).—Whereas, the draft of certain rules, namely, the Designs (Amendment) Rules, 2019 further to amend the Design Rules, 2001 were published, as required under sub-section (3) of section 47 of the Designs Act, 2000 (16 of 2000), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 798(E), dated 18th October, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 19th day of October, 2019;

And whereas, the objections and the suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 47 of the Designs Act, 2000, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Designs Rules, 2001, namely:-

1. **Short title and commencement:**- (1) These rules may be called the Designs (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from date of their final publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Designs Rules 2001, (hereinafter referred to as the principal rules), after clause (ea), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(eb) “startup” means-

‘(a) an entity in India recognised as a startup by the competent authority under Startup India initiative; and

(b) in case of a foreign entity, an entity fulfilling the criteria for turnover and period of incorporation or registration as per Startup India Initiative and submitting declaration to that effect.

Explanation: In calculating the turnover, reference rates of foreign currency of the Reserve Bank of India shall prevail.’

3. In rule 4 of the principal rules, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that such address for service shall include e-mail address and mobile number registered in India, of the agent or applicant”.

4. In rule 5 of the principal rules, in sub-rule (2),

(i) for the clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

“(e) In case an application processed by a natural person and/ or startup and/ or small entity is fully or partly transferred to a person other than a natural person, startup or small entity, the difference, if any, in the scale of fees between the fees charged from the natural person, startup or small entity and the fees chargeable from the person other than a natural person, startup or small entity in the same matter, shall be paid by the new applicant with the request for transfer.”:

(ii) clause (f) shall be omitted.

(iii) after sub-rule (e), the following explanation shall be inserted namely:-

“*Explanation*--Where a startup or small entity, having filed an application for a design, ceases to be a startup or small entity due to the lapse of the period during which it is recognised by the competent authority, or its turnover subsequently crosses the financial threshold limit as notified by the competent authority, no such difference in the scale of fees shall be payable”.

5. In rule 10 of the principal rules, for the sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

For the purposes of the registration of designs and of these rules, articles shall be classified as per current edition of “International Classification for Industrial Designs (Locarno Classification)” published by World Intellectual Property Organization (WIPO):”

Provided that registration of any design would be subject to the fulfillment of provisions of the Act specifically 2(a) and 2(d).

6. In the principal rules, for the FIRST SCHEDULE the following Schedule shall be substituted namely:-

“FIRST SCHEDULE”

(See Rule 5)

FEES

Number of entry	On what payable	Number of the relevant Form	Fees (in Rupees)	
			For natural person(s) and/ or Startup(s) and/or Small entit(y)/(ies) and/or Small entit(y)/(ies)	Other(s), alone or with natural person(s) and/ or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	On application for registration of design under sections 5 and 44.	1	1000	4000
2	On claim under section 8 (1) and (5) to proceed as an applicant or joint applicant.	2	500	2000
	On application for extension of copyright under section 11(2).		2000	8000

3		3		
4	On application for restoration of lapsed design under section 12(2).	4	1000	4000
5	Additional fee for restoration.	-	1000	4000
6	Inspection of registered design under section 17(1).	5	500	2000
7	On request for information of design when registration No. given under section 18.	6	500	2000
8	On request for information of design when registration No. not given.	7	1000	4000
9	On petition for cancellation of design under section 19.	8	1500	6000
10	Notice of intended exhibition or publication of an unregistered design under section 21.	9	500	2000
11	Application for registration of a document in Register of Design under section 30(3),-	10		
	In respect of one design		500	2000
	For each additional design		200	800
12	On application for entry of name of proprietor or part proprietor in Register of Design under section 30,-	11		
	In respect of one design		500	2000
	For each additional design		200	800
13	On application for entry of mortgage or license	12		
	In respect of one design		500	2000
	For each additional design		200	800

14	Application for entry of notification of a document in the Register of Design under section 30 and rule 37,-	13		
	In respect of one design		500	2000
	For each additional design		200	800
15	On request for correction of clerical error under section 29.	14	500	2000.
16	On request for certification under section 26 and rule 41.	15	500	2000
17	On application for certified copy of registered design under section 17(2).	16	500	2000
18	On application for rectification of Register of Design under section 31.	17	500	2000
19	On application for extension of time for filing priority document under rule 15 & rule 18.	18	200 (per month)	800 (per month)
20	On notice of opposition under rule 40.	19	100	400
21	Notice of intention to attend hearing under rule 29 and 40.	20	500	2000
22	Form for authorization of agent or other person.	21	-	-
23	On request to alter names or address or address for service in the Register of Design under rule 31.	22	200	800
24	On request for entries of two address in the Register of Design.	23	200	800
25	On petition under rule 46 for amendment of any document.	-	500	2000
26	On petition under rules 29, 40, 47 for enlargement of time.	-	500	2000
27	Inspection of Register of Design under rule 38 (in respect of each design).	-	250	1000
28	On petition not otherwise provided for	-	1000	4000

29	To be submitted for claiming the status of a small entity	24	No fee	No fee”
----	---	----	--------	---------

7. In principal rules, in the SECOND SCHEDULE- (i) for the Form No.1 the following Form shall be substituted namely:-

“FORM 1

[THE DESIGNS ACT, 2000]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF DESIGNS (See sections 5 and 44)

(For Fee see First Schedule)	
^A Insert number of class ^B Insert (in full) address and nationality ^{B1} Category of applicant [Please tick (✓) for the appropriate category]	You are requested to register the accompanying in Class No. ^A in the name of ^B who claim(s) to be the proprietor(s) thereof. Natural Person () Start-up () Small Entity () Others () ^{B1}
^C State whether drawings, photographs, tracings or specimens.	Four exactly similar ^Cof the design accompany this request.
^D Insert name of article or articles to which the design is to be applied or state trade description of each of the articles contained in the set	The design is to be applied to ^D

^E Strike out these words if previous registration has been effected.	^E The design has been previously registered in class(es)..... under No..... Details of first application in a convention country or group of countries or inter-governmental organisation. i. Name of the country/inter-governmental organization.... ii. Date of filing..... iii. Application number..... iv. Name of the applicant
^F Unless an address for service in India is given, the request may not be considered.	^F Address for service in India is..... Email ID: Mobile No:
	Declaration: The applicant claims to be the proprietor(s) of the design and that

^G To be signed by the applicant or by authorized agent.	to the best of his knowledge and belief the design is new or original. Dated this Day of20..... (Signed) ^G
--	---

TO THE CONTROLLER OF
DESIGNS, THE PATENT
OFFICE,

* Strike out the words if no previous registration or priority claim has been effected”.

(ii) for the Form 24 the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM-24 (THE DESIGNS ACT, 2000) (See Rule 2 & 5) TO BE SUBMITTED FOR CLAIMING THE STATUS OF A SMALL ENTITY OR STARTUP		
1	Insert name, address and nationality Please tick the appropriate category	I/ We applicant/ in respect of the design application no. hereby declare that I/we am/are a small entity or a startup and submit the following document(s) as proof:
2	Documents to be submitted as evidence of eligibility:	
i.	For claiming the status of a small entity:	
	A. For an Indian applicant: Evidence of registration under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 (27 of 2006). B. In case of a foreign entity: Any document as evidence of eligibility	
ii.	For claiming the status of a startup:	
	A. For an Indian applicant: The certificate of recognition from Department for Promotion of Industrial Policy and Internal Trade B. In case of a foreign entity: - Affidavit as evidence of eligibility along with supporting document.	

3.	Undertaking	The information provided herein is correct to the best of my/ our knowledge and belief. Dated thisday of 20...
4.	To be signed by the applicant(s)/ registered proprietor(s)/ authorised registered patent agent. Name of the natural person who has signed.	Signature

Note:

1. Availing of benefit of reduction in fee on the basis of incorrect information/misrepresentation of facts with regard to status as a small entity or startup would mean that the entire fee did not accompany the document, as mandated by rule 5(2)(b). In such a case, in accordance with section 24(2), the filing of the document shall be of no effect unless the fee has been fully paid.
2. A registered design entered into the Register of designs by making any false suggestion or false representation as to the status as small entity or startup may attract the provisions of section 31 of the Designs Act, 2000”
8. In the principal rules, THIRD SCHEDULE shall be omitted.
9. In the principal rules, for the FOURTH SCHEDULE the following Schedule shall be substituted, namely:

“THE FOURTH SCHEDULE
(See rule 43)

Scale of costs allowable in proceedings before the Controller

Number of Entry	Matter in respect of which cost is to be awarded	Amount (in rupees)	
		For natural person(s) and/ or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)	Other, alone or with natural person (s) and/or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)
1	For notice of opposition under rule 40	100	400
2	For petition for cancellation of the registration for design under section 19	1000	4000
3	For notice of information to attend hearing	200	800
4	Stamps for power of attorney, where a professional has been appointed	The amount actually paid	The amount actually paid
5	Stamps fee in respect of relevant affidavit	The amount actually paid	The amount actually paid
6	For statement and evidence under sub-rule (1) of rule 29 and sub-rule (2) of rule 40	200	800
7	Counter statement under sub- rule (3) of rule 29 and sub-rule 4 of rule 40.	200	800
8	For each affidavit, if relevant	100	400
9	For each citation, if relevant	100	400
10	For each unnecessary or irrelevant affidavit or citation	100	400
11	For every day or part of a day hearing before the Controller.	500	2000"

[F. No. P-24024/81/2019-IPR-V]

RAVINDER, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* Notification No. S.O. 414(E), dated the 11th May, 2001 and last amended *vide* Notification No. G.S.R. 925(E) dated the 30th December, 2014.